



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230797
CG-DL-E-28102021-230797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943

No. 22]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2021

सं. ईपी/19/2020-आर्थिक और नीति विंग.—राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के पैरा 4.1.3 और 4.9.6 के निर्देशों और नए सिरे से अथवा कौशल विश्व विद्यालय प्रणाली के भाग के रूप में उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने के लिए इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 31 मई 2021 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में, जेवियर प्रबंधन और उद्यमशीलता संस्थान (एक्सआईएमई) बेंगलुरु के तहत उद्यमशीलता लीडरशिप केंद्र (ईएलसी) को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 पंजी. सं. क्रम सं. 244/91-92 दिनांक 19 जून, 1991 को देश में कौशलीकरण इकोसिस्टम के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से आरंभ में पांच वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- ईएलसी (एक्सआईएमई, बेंगलुरु) को सीओई दिशानिर्देशों में वांछनीय परिणामों के संबंध में सूचीबद्ध सभी मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए;
- ईएलसी (एक्सआईएमई, बेंगलुरु) एमएसडीई को अपने क्रियाकलापों का विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- ईएलसी (एक्सआईएमई, बेंगलुरु) निगरानी के लिए एमएसडीई द्वारा आवधिक साइट दौरे की सुविधा प्रदान करेगा।

शान्तनु मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2021

No. EP/19/2020-Economic and Policy Wing.—In pursuance of the directives under para 4.1.3 and 4.9.6 of the National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015 and the guidelines framed there under vide Notification dated 31st May 2021 regarding setting up Centre of Excellence either as de-novo or as part of Skill University system, the Entrepreneurial Leadership Centre (ELC), under Xavier Institute of Management & Entrepreneurship (XIME), Bengaluru registered under Society Registration Act, 1860 Reg.No.S.No.244/91-92 dated June 19, 1991, has been recognized as a **Centre of Excellence** (CoE) in the field of Skilling Ecosystem in the country. This recognition shall initially be for a period of five years from the date of issue of this Notification, subject to the following conditions:

- (i) ELC (XIME, Bengaluru) should try to achieve all the parameters as enlisted in respect of Desirable Outcomes in the CoE guidelines;
- (ii) ELC (XIME, Bengaluru) will submit its Annual Report to MSDE detailing out its activities;
- (iii) ELC (XIME, Bengaluru) would facilitate periodic site visit by MSDE for monitoring.

SANTANU MITRA, Senior Economic Adviser